



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

“किसान मण्डी भवन” विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक अधि०-“ख”/व्य०प०-335/201१-०७

दिनांक- ०४/०१/२०११

आदेश

परिषद आदेश संख्या: अधि०-“ख”/व्य०प०-335/96-771 दिनांक: 29.01.1996 से श्री विनोद कुमार सिसौदिया, सचिव को वेतनमान रू० 1350-30-1440-40-1800-द०रो०-50-2200 में दिनांक: 01.08.1994 से एक वेतनवृद्धि सेलेक्शन ग्रेड के रूप में स्वीकृत की गयी थी। शासनादेश संख्या: वे०आ०-1-166/10-12(एम०)-95 दिनांक: 08.03.1995 एवं शासनादेश संख्या: 114/80-1-2006-8/98टी०सी० दिनांक: 17.01.2006 के प्राविधानान्तर्गत श्री विनोद कुमार सिसौदिया, सचिव को दिनांक: 01.08.1994 से स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड की तिथि से 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कुल 14 वर्ष की सन्तोषजनक अनवरत सेवा के फलस्वरूप दिनांक: 01.08.2000 से प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान रू० 6500-200-10500 वैयक्तिक रूप से एवं प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 05 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप वेतनमान रू० 6500- 200-10500 में दिनांक: 01.08.2005 से रू० 200/- की वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती है।

उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान का भुगतान नियमानुसार वेतन आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सुविधा यदि पूर्व से स्वीकृत है, तो यह आदेश निष्प्रभावी रहेगा।

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उ०प्र०।
3. सम्बन्धित सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति।
4. सम्बन्धित सदस्य।
5. आदेश/गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक